date of receipt of shipping documents, and investigations are in progress.

(ii) M|s. Aminchand Pyarelal through their clearing agents M|s. Lee and Muirhead removed the imported consignments on payment of concessional rental charges on the ground of delay in the receipt of the relevant shipping documents.

(iii) Removal of goods from the port premises is allowed only on pre-payment of all charges due to the Commissioners. M|s. Aminchand Pyarelal had a deposit account with the Port Commissioner and parties having such an account are allowed to remove goods by raising the appropriate debits against the account.

(iv) On the strength of search warrants, the office premises of M|s. Aminchand Pyarelal and their allied concerns, M|s. Lee and Muirhead, Clearing Agents, M|s. Devkaran Nanjee Banking Company, M|s. Hansa Lines and the residences of the partners of M|s. Aminchand Pyarelal were searched and records seized. No arrests have so far been made.

आयकर अधिकारियों का तबादला

2280. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी अवधि के बाद आयकर अधिकारियों का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है ?

(ख) क्या बम्बई, दिल्ली और कलकत्ते में कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जिनका तबादला गत दस वर्ष से भी अधिक समय से नहीं हुआ है ;

(ग) क्या अधिकारी पदोन्नति पा कर भी उसी स्थान पर नियुक्त रहते हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले मे सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) श्रेणी 1 के आयकर अफसरों को सामान्य रूप से तीन से पांच वर्ष की अवधि के बाद एक आयकर आयुक्त के कार्य क्षेत्र से दूसरे आयकर आयुक्त के कार्य क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाता है। लेकिन श्रेणी 2 के आयकर अफसरों को इस प्रकार तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाता है जब तक कि ऐसा करने के लिये प्रशासनिक कारण नहीं होते अथवा जब तक वे श्रेणी 1 में पदोन्नत नहीं किये जाते। परन्तु आयकर आयुक्त श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 दोनों प्रकार के आयकर अफसरों को, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर दो से लेकर तीन वर्ष के बाद एक कार्य क्षेत्र से दूसरे कार्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर देते हैं।

(ख) जी, हां। इस प्रकार के श्रेणी 1 के कुल 968 अफसरों में से तथा श्रेणी 2 के 918 अफसरों में से ऐसे अफसर नौ हैं जिनमें से चार श्रेणी 1 के हैं तथा पांच श्रेणी 2 के हैं।

(ग) सामान्य रूप से श्रेणी 2 के आयकर अफसरों को उनकी पदोन्नति होने पर कार्य क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

(घ) तथा (ङ) ऊपर भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित श्रेणी 1 के चार अफसरों में से दो तो केवल 1-1-1966 को ही श्रेणी 2 से पदोन्नत हुए हैं एक दूसरे अफसर को 1959 में पदोन्नत किया गया था परन्तु उसकी बदली इसलिये नहीं की गई कि उस समय उसकी उम्र

50 से अधिक थी। चौथा अफसर यद्यपि कलकत्ता में ही काम करता रहा है परन्तु उसकी बदली एक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से दूसरे आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में कर दी गई है।

मेसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई

2281. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2046 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मेसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड बम्बई को करोड़ों रुपये के ठेके दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयकर का अपवंचन करने के उद्देश्य से ये फर्म अपने व्यापार की कुल राशि की तुलना में बहुत कम लाभ दिखाती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिक खर्च दिखाने के लिये कर्मचारियों से कोरी रसीदों पर हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं, तथा बाद में उन में बड़ी-बड़ी रकमें भर दी जाती हैं और लाभ को घटाने के लिये झूठी खरीदें दिखाई जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आयकर की भारी हानि होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन फर्मों के काम की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां। इन दो कम्पनियों ने संयुक्त रूप से कई सरकारी संस्थाओं से ठेके लिये हैं।

(ख) अभी कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी होनी है, इसलिये यह कहना असामयिक होगा कि दिखाये गये लाभ बहुत कम हैं, या आयकर का अपवंचन किया गया है।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। कर-निर्धारण की कार्यवाही करते समय आयकर अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच की जायेगी।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2282. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारियों तथा तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों, जैसे डाक्टर तथा नर्सों का एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानान्तरण करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं?